न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–गितेश श्री मालवीय, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 1/2019 (उदयपुर डिक्री)

1. चेनराम पिता बालूराम जी भोई (मृतक) के बजाय :–

1/1. श्रीमती रामचन्द्री पत्नी चेनराम जी भोई, निवासी गिलुण्ड, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

1/2. रतनलाल पिता चेनराम जी भोई, निवासी गिलुण्ड, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

2. काना पिता बालुराम जी भोई, निवासी गिलुण्ड, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

3. श्रीमती दौली पिता बालुराम जी भोई पत्नी सत्य नारायण भोई, निवासी भोईखेड़ा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

4. श्रीमती सोसर पिता बालूराम जी पत्नी किशनलाल जी भोई(मृतक)के बजाय :–

4/1. किशनलाल पिता मेघा जी भोई, नि0 गिलुण्ड, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

4/2. रतनीबाई पुत्रीकिशनलाल भोई, नि0 गिलुण्ड, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

4/3. टीना पुत्रीकिशनलाल भोई, निवासी गिलुण्ड, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

4/4. सुरेश पिता किशनलाल भोई, निवासी गिलुण्ड, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. किशनलाल पिता परथा जी भोई, निवासी मन्दिर के पास, भोईवाड़ा, खेमपुरा, तहसील गिर्वा,जिला उदयपुर(राज.)

2. सोहनलाल पिता परथा जी भोई, निवासी मन्दिर के पास, भोईवाड़ा, खेमपुरा, तहसील गिर्वा,जिला उदयपुर(राज.)

3. राजेन्द्र पिता भगवतीलाल जी कोठारी, निवासी बेदला रोड़, उदयपुर(राज.)

4. लाभचन्द पिता लक्ष्मण जी भोई, निवासी मन्दिर के पास, भोईवाड़ा, खेमपुरा, तहसील गिर्वा,जिला उदयपुर(राज.)

5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, हाल तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर।

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),गिर्वा दिनांक 22.01.2018 प्र.सं.333/2013

———

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित (वक्त बहस) :–श्री हनुमान प्र[illegible] श[illegible] अभिभाषक अपीलान्टगण

———::———

निर्णयदिनांक01—08—2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया किवादीगण के दादा स्वर्गीय परथा पिता भेरा व प्रतिवादी संख्या 4 लाभचन्द पिता लक्ष्मण ने मिलकर जनकसिंह से साबिक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की मौजा बेदला की आराजी नंबर 966/2 रकबा 9 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत बहनामा दिनांक 25—01—1973 को 54,000/— में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था, जिसके हाल आराजी नंबर 1889, 1890, 1892, 1893, 1894, 1895, 1897 कुल किता 7 रकबा 1.53 हैक्टर बने। परथा की मृत्यु हो जाने से व वादीगण के पिता बालू जो परथा का ज्येष्ठ पुत्र था, की मृत्यु हो जाने से परथा की विरासत अकेले प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम पर दर्ज कर दी, जबकि स्वर्गीय परथा के तीन पुत्र बालू तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 हैं तथा परथा की विरासत में वादीगण के पिता स्वर्गीय बालू का भी 1/6 हक हिस्सा निहित है। वादीगण अपने हक हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में अपने हक हिस्से से अधिक भूमि का हस्तान्तरण कर दिया है, जो वादीगण के मुकाबले शून्य व निष्प्रभावी है, किन्तु उक्त विक्रय की आड़ में प्रतिवादी संख्या 3 वादीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं। अतः वाद वर्णितआराजी नंबर 1889, 1890, 1892, 1893, 1894, 1895, 1897 कुल किता 7 रकबा 1.53 हैक्टर का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/6, 1/6 तथा प्रतिवादी संख्या 4 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर पक्षकार के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी न हीं करें, न ही विवादित आराजियात का बिना विभाजन हस्तान्तरण करें, न किसी अन्य से करावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा विशेष कथन के साथ प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की है, जिस पर वे पिछले 30 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज चले आ रहे हैं। अतः प्रतिदावा स्वीकार कर विवादित आराजियात का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना सम्पूर्ण हित व अधिकार प्रतिवादी संख्या 3 को हस्तान्तरण कर कब्जा सिपुर्द कर दिया है, जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

विधि खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 हैं। साथ ही वादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का भी निवेदन किया।

अधिनस्थ न्यायालय नेपक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. प्रस्तुत किये जाने के आधार पर दिनांक 22—01—2018 को राजीनामे अनुसार निर्णय पारित कर प्रकरण में डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26—12—2018 कोप्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया,किन्तु रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रथम बार अपीलान्टगण को दिनांक 02—11—2018 को हुई। जानकारी होते हीअपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण के गुणावगुण पर बहस करते हुएविद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट ने अपीलान्ट/वादीगण के अधिवक्ता से मिलीभगत कर अपीलान्टगण की सहमति के बिना उनकी अज्ञानता तथा अनपढ़ होने का फायदा उठाकर धोखे से राजीनामें पर हस्ताक्षर करवाकर डिक्री प्राप्त की है जो अवैध एवं शून्य होने से अपास्त योग्य है। प्रकरण चेनराम की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान की कायमी हेतु नियत था, किन्तु इस पर किसी प्रकार का आदेश किये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त योग्य है। जिस इकरारनामा दिनांक 09—07—1979 के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट का प्रतिदावा डिक्री किया गया है, वह इकरारनामा अनरजिस्टर्ड है। किसी अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर किसी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज कर दिया है। इतना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

नहीं अधिवक्ता राजमल राव को न तो वह जानते हैं न ही उन्हें वकालतनामा दिया, फिर भी अचानक इस प्रकरण में दिनांक 11–12–2017 को वह अपीलान्ट की ओर से कार्यवाही कैसे कर सकते हैं, जबकि अपीलान्टगण के अधिवक्ता गिरजा शंकर थे। अपीलान्टगण के स्वामित्व की करोड़ों की सम्पत्ति हड़पने की नियत से इस प्रकार के कृत्य किये गये हैं, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

हमनेविद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवंअधिनस्थन्यायालयकीपत्रावलीपरउपलब्धरेकार्डकाध्यानपूर्वकअवलोकनकिया। अधिनस्थन्यायालयकीपत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. दिनांक 11–12–2017 पर अपीलान्ट/वादीगण हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी मौजूद है, किन्तु अपीलान्ट का कथन है कि यह हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी उन्हें धोखे में रखकर उनके अनपढ़ होने का फायदा उठाकर कराये गये हैं तथा प्रकरण नामकायमी हेतु नियत था, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। अपीलान्टगण का यह भी कथन है कि प्रकरण में पेशी दिनांक 12–02–2018 के लिए नियत थी, किन्तु अचानक बिना उनकी सहमति के अधिवक्ता श्री राजमल राव जो कि अपीलान्ट/वादीगण अधिवक्ता भी नहीं थे, के द्वारा वादीगण की ओर से राजीनामा प्रार्थना पत्र कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका का अवलोकन किया तो पाया कि प्रकरण में दिनांक 12–02–2018 को पेशी नियत थी, किन्तु अधिवक्ता राजमल राव द्वारा पत्रावली सिगह से तलब करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजीनामा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. दिनांक 11–12–2017 पर अपीलान्ट/वादीगण की पहचान की एवं उसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में डिक्री जारी कर दी। अपीलान्टगण ने अधिवक्ता राजमल राव को अपना अधिवक्ता होने से इंकार किया है, जबकि अधिवक्ता राजमल के वकालतनामे पर अपीलान्ट/वादीगण के हस्ताक्षर हैं। इसलिए इस आधार पर तो अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को गलत नहीं ठहराया जा सकता, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने जिस राजीनामें के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण का प्रतिदावा डिक्री किया है, उक्त राजीनामें का मुख्य आधार इकरारनामा दिनांक 09–02–1979 है, जो दो रूपये पच्चीस पैसे के स्टाम्प [illegible] है, जबकि विधिक रूप से अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर [illegible] प्रतिदावा डिक्री नहीं किया जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

सकता। उक्त इकरारनामे पर प्रापर स्टाम्प डयूटी भी नहीं है तथा उक्त इकरारनामा असल नहीं होकर मात्र फोटो प्रति है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को हम त्रुटि पूर्ण पाते हैं। इस प्रकरण में हम यह भी पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 6 तनकियां कायम की गयी, किन्तु तनकियों पर किसी प्रकार का कोई विवेचन नहीं किया है तथा मात्र अनरजिस्टर्ड एवं फोटो प्रति इकरारनामें के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण का प्रतिवाद डिक्री कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

फलस्वरूपअपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थन्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–01–2018अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में कायम शुदा तनकियात पर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर, साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकार अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29–09–2023 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 01–08–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested